

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
तहसील केपाटन, जिला बून्दी



क्रमांक : प.सुगम/जा.पं./2014 / 4858

दिनांक 08/08/2014

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/ सुश्री/ श्रीमति	बृजेश कुमार
पुत्र/पुत्री	दुर्गा लाल
निवासी	भिण्डी
जिला/डिविजन	बून्दी

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय
का है जिस निम्नांकित अनुसार
जो अनुसूचित जाति की सूची संख्या में क्रम सं

राज्य/संघ राज्य—राजस्थान

मेघवाल
के रूप मान्यता दी गयी है।
46 पर दर्ज है।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956

दम्बई पुर्नगढ़न अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगढ़न अधिनियम 1966,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगढ़न) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा—
—अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान—

—(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962

संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

विधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967

संविधान (गोवा, दमन तथा दोव) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा, दमन तथा दोव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिकिम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिकिम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

प्रार्थी/सुश्री/ श्रीमति

जाति

जिला/डिविजन

दिनांक : 08/08/2014

बृजेश कुमार

मेघवाल

बून्दी

पुत्र/पुत्री श्री


निवासी

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

दुर्गा लाल

भिण्डी

राज्य संघर्ष

हस्ताक्षर 
कृष्णकला कॉलेज
कृष्णरावपुरान्त

प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनजातिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।